29

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

विद्युत मंत्रालय

['विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों का विकास' विषय से संबंधित 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

उनत्तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

जुलाई, 2022 /श्रावण,1944 (शक)

उनत्तीसवां प्रतिवेदन
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)
(सत्रहवीं लोक सभा)

विद्युत मंत्रालय

['विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों का विकास' विषय से संबंधित 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

02.08.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

02.08.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जुलाई, 2022 /श्रावण,1944 (शक)

<u>सीओई सं0</u> 355

मूल्यः

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और द्वारा मुद्रित

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		**5**
प्राक्कथन		**7**
एक.	प्रतिवेदन	**8**
दो.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	**16**
तीन.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	**26**
चार.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	**27**
पांच.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	**30**
परिशिष्ट		
एक.	समिति की 26 जुलाई, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	**31**
दो.	ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	**33**

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

सदस्य

लोक सभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री देवेन्द्र सिंह भोले
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
6. श्री किशन कपूर
7. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
8. श्री सुनील कुमार मंडल ^
9. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री प्रवीन कुमार निषाद
12. श्री पी. वेलुसामी
13. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
14. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल@
15. श्री जय प्रकाश
16. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
17. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
18. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
19. श्री एस.सी. उदासी
20. रिक्त**
21 रिक्त #

राज्य सभा

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री राजेन्द्र गहलोत*

24. श्री मुजीबुल्ला खान
25. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
26. श्री एस. सेल्वागनबेथी*
27. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
28. श्री के.टी.एस. तुलसी
29. रिक्त $
30. रिक्त &
31. रिक्त ^^

<u>सचिवालय</u>

1.	डॉ. राम राज राय	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री आर.के. सूर्यनारायणन	-	निदेशक
2.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
3.	श्री मनीष कुमार	-	समिति अधिकारी

---

^ श्रीमती साजदा अहमद के स्थान पर दिनांक 01.12.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

@ श्री रमेश चन्द्र कौशिक के स्थान पर दिनांक 07.02.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

** दिनांक 22.03.22 को लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने पर श्री अखिलेश यादव समिति के सदस्य नहीं रहे।

समिति के गठन के समय से रिक्त ।

* दिनांक 11.11.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

$ श्री जुगलसिंह लोखंडवाला द्वारा 02.12.2021 को समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया।

& दिनांक 29.06.22 को राज्य सभा सेवानिवृत्त होने के पश्चात् श्री टी.के.एस. एलंगोवन समिति के सदस्य नहीं रहे।

^^ दिनांक 04.07.22 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् श्री संजय सेठ समिति के सदस्य नहीं रहे।

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों का विकास' विषय के संबंध में 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह उनत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. 18वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 05 अगस्त, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था । इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 15 नवम्बर, 2021 को प्राप्त हो गये थे ।

3. समिति ने 26 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **परिशिष्ट-दो** में दिया गया है ।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली;
26 जुलाई, 2022
श्रावण 4, 1944 (शक)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन "विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों का विकास" विषय से संबधित समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है।

2. अठारहवां प्रतिवेदन 05 अगस्त, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में 7 सिफारिशें/ टिप्पणियां अंतर्विष्ट थीं ।

3. अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर सरकार से प्राप्त हो गए हैं। इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

क्रम सं.: 2, 3, 4, 5, 6, और 7

कुलः 06

अध्याय: दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है:

- शून्य - कुलः 00

अध्याय: तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

- 1 - कुलः 01

अध्याय: चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

- शून्य -

कुलः 00

अध्याय: पांच

4. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई कार्रवाई संबंधी विवरण समिति को प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

5. समिति अब अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई के संबंध में चर्चा करेगी**,** जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

(**सिफारिश क्र. सं.** 1)

<u>स्वदेशी कोयला भंडार के इष्टतम उपयोग</u>

6. समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नानुसार टिप्पणियाँ/सिफारिशें की थी:

"समिति नोट करती है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा परिचालित कोयले और लिग्नाइट के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सूची (एनुअल नेशनल इनवेंटरी) के अनुसार देश का कुल कोयला संसाधन 344.02 बिलियन टन है। देश में कोयले की उत्खनन की वर्तमान दर लगभग प्रतिवर्ष 729 मिलियन टन है, इस दर पर यह भंडार 400 से अधिक वर्षों तक चल सकता है। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं और विभिन्न वैश्विक मंचों पर हमारे देश की प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ते हुए ध्यान के कारण, यह स्पष्ट है कि हमारे अधिकांश कोयला भंडार का कभी भी उपयोग नहीं हो पाएगा। समिति यह भी पाती है कि यह एक विडंबना है कि हमारे देश में कोयले के विशाल भंडार होने के बावजूद, हम कोयले का काफी मात्रा में आयात कर रहे हैं। कुछ वर्षों में, आयातित कोयले का हिस्सा, कुल कोयले प्राप्ति का 16-17% तक रहा है। कोयले के आयात के लिए मंत्रालय द्वारा यह कारण बताए गए हैं कि आयातित कोयला बेहतर गुणवत्ता का होता है, कुछ संयंत्र आयातित कोयले के उपयोग के लिए डिजाइन किए जाते हैं जबकि कुछ को सम्मिश्रण के उद्देश्य से इसकी आवश्यकता होती है, आदि। समिति का सुविचारित मत है कि कोयले का आयात चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए क्योंकि हमारे पास अपनी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार हैं। समिति इस बात से भी अवगत है कि स्वदेशी कोयले की गुणवत्ता को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है और विद्युत संयंत्रों के बॉयलर के डिजाइन को संशोधित किया जा सकता है जिससे उनमें स्वदेशी कोयले का उपयोग हो सके। समिति महसूस करती है कि एक स्पष्ट नीति तैयार करने की आवश्यकता है जो कि न केवल 'आत्मनिर्भर भारत' के विचार के अनुरूप हो

बल्कि देश में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और आम आदमी के लिए सस्ती बिजली प्रदान करने में भी सहायक हो। अतः समिति सिफारिश करती है कि विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय इस मुद्दे पर अत्यधिक गंभीरतापूर्वक मिलकर कार्य करे और स्वदेशी कोयला भंडार के इष्टतम उपयोग के लिए ठोस प्रयास करें।"

7. मंत्रालय ने अपनी की-गई कार्रवाई रिपोर्ट में निम्नवत बताया:

"आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्र अपनी ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करते हैं। इसके अलावा, घरेलू कोयले पर डिजाइन किए गए संयंत्र भी अपनी लागत-अर्थव्यवस्था को देखते हुए मिश्रण प्रयोजन के लिए कोयले का आयात करते हैं।

घरेलू कोयले की बढ़ती उपलब्धता के मद्देनजर, सरकार ने मिश्रण प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले आयातित कोयले को घरेलू कोयले के साथ प्रतिस्थापित करने की पहल की है। विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल, 2020 में उन उत्पादक कंपनियों को जो मिश्रण के प्रयोजनार्थ कोयले का आयात कर रही थीं, अपने आयात को घरेलू कोयले से बदलने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने की सलाह दी। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने मई, 2020 में आयातित कोयले के प्रतिस्थापन के उद्देश्य से और प्रतिस्थापन योग्य कोयले के आयात को खत्म करने के उपाय सुझाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया। वर्ष 2020-21 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने विद्युत संयंत्रों को मिश्रण के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले आयातित कोयले को प्रतिस्थापित करने के लिए घरेलू कोयले की पेशकश की।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), कोयला मंत्रालय (एमओसी), सीआईएल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और विद्युत संयंत्रों के ठोस प्रयासों से, मिश्रण के लिए कोयले का आयात वर्ष 2019-20 के दौरान 23.8 मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में घटकर 10.4 मीट्रिक टन हो गया है जिसके परिणामस्विरूप लगभग 56% की कमी हुई। इसके अलावा, आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्रों ने वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष में 45.5 मीट्रिक टन की तुलना में 35.1 मीट्रिक टन का आयात किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 23% की कमी हुई।

विद्युत संयंत्रों द्वारा कुल आयात वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में लगभग 34% कम हो गया है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष 2021-22 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान घरेलू और आयातित कोयले (मिश्रण के प्रयोजन से और आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए संयंत्रों के लिए) की प्राप्ति निम्नानुसार है:

वर्ष	कोयला प्राप्ति (मिलियन टन में)					कुल प्राप्ति में आयातित कोयले का हिस्सा (%)
	घरेलू प्राप्ति	आयातित प्राप्ति			कुल प्राप्ति	
		मिश्रण हेतु	आयातित कोयला आधारित संयत्रों के लिए	कुल आयात		
2016-17	494.9	19.8	46.3	66.1	561	12%
2017-18	538.6	17	39.4	56.4	595	9%
2018-19	582.1	21.4	40.3	61.7	643.8	10%
2019-20	569.5	23.8	45.4	69.2	638.7	11%
2020-21	550.8	10.4	35.1	45.5	596.3	8%
2021-22 (अप्रैल-सितम्बर)	307.9	4.4	11.9	16.3	324.2	5%

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में आयातित कोयले की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 के दौरान कुल कोयला प्राप्ति का लगभग 12% थी, जो सरकार द्वारा की गई पहल के कारण वर्ष 2020-21 से घटकर लगभग 5% रह गई है। तथापि, वर्ष 2021 अभूतपूर्व रहा है क्योंकि आयातित कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगभग 60-70 अमरीकी डालर प्रति टन (फरवरी-मार्च, 2021 में) से बढ़कर लगभग 170-200 अमरीकी डॉलर प्रति टन (सितंबर-अक्टूबर, 2021 में) हो गई हैं जिसने आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले के आयात को प्रभावित किया, इस प्रकार अधिक घरेलू कोयले की मांग बढ़ी और विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयले के स्टॉक में कमी आई। तदनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की किसी भी गंभीर स्थिति से बचने के लिए उत्पादन कंपनियों को मिश्रण के प्रयोजन के लिए कोयले का आयात करने की सलाह दी है।"

8. समिति नोट करती है कि विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों से सम्मिश्रण के लिए कोयले का आयात वर्ष 2020-21 में 56 प्रतिशत तक कम हुआ था। तथापि, वर्ष 2021 अभूतपूर्व रहा है क्योंकि आयातित कोयले की कीमतें बढ़ गई थी जिसने

आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले के आयात को प्रभावित किया, इस प्रकार घरेलू कोयले की मांग बढ़ी और विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयला के स्टॉक में कमी आई। तदनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की किसी भी गंभीर स्थिति से बचने के लिए उत्पादन कंपनियों को मिश्रण के प्रयोजन के लिए कोयले का आयात करने की सलाह दी है।

समिति मंत्रालय को 2021 के प्रकरण से उपर्युक्त सबक लेने का आग्रह करती है और अपनी सिफारिश को दोहराती है कि विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय इस मुद्दे पर प्रभावी रूप से सहयोग करें और कोयले के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के मूल उद्देश्य को केन्द्र में रखकर स्वदेशी कोयला भंडार के इष्टतम उपयोग के लिए ठोस प्रयास करें। समिति इस बारे में अपनाई जा रही रणनीति और इसके परिणाम से अवगत होना चाहेगी।

(**सिफारिश क्र. सं.** 3)

<u>कोयला ब्लॉकों का शीघ्र विकास</u>

9. समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नानुसार टिप्पणियाँ/सिफारिशें की थी:

"समिति नोट करती है कि विभिन्न अधिनियमों के तहत विद्युत क्षेत्र को कुल 65 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। 65 कोयला ब्लॉकों में से, 9,028 मिलियन टन के भूगर्भीय भंडार और प्रतिवर्ष 152 मिलियन टन की पीक रेटेड क्षमता वाले 16 ब्लॉकों को केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को आवंटित कर दिया गया है। आवंटित कोयला ब्लॉकों का पीएसयू-वार ब्यौरा इस प्रकार है; एनटीपीसी को 10, डीवीसी को 2, टीएचडीसी को 1 और एनएलसी को 3। तथापि, केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को आवंटित इन 16 कोयला ब्लॉकों में से केवल 5 ही अब तक उत्पादन के चरण में पहुँचे हैं। 3 कोयला ब्लॉकों के लिए पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं लेकिन उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। शेष 8 कोयला ब्लॉकों को या तो पर्यावरण संबंधी स्वीकृति अथवा वन संबंधी स्वीकृति अथवा दोनों ही नहीं मिली है। समिति आगे नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान इन निर्धारित कोयला खानों से वास्तविक उत्पादन केवल 7.76 मीट्रिक टन हुआ है। समिति को इस बात की जानकारी है कि विद्युत क्षेत्र को कोयला खानों के आवंटन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के लिए कोयले की कमी को दूर करना था, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड अकेले इस मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रही थी। तथापि, समिति पाती कि हालांकि, केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी

उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों का विशेष रूप से आवंटन किए जाने के कई वर्षों बीत जाने के बावजूद इससे संबंधित काम की गति बेहद धीमी है, क्योंकि कोयले के उत्खनन हेतु अधिकांश कोयला ब्लॉक अभी तक विकसित नहीं किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा बताए गए उत्तरदायी कारणों में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति और वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने में औसत से अधिक लगने वाला समय, भूमि अधिग्रहण में विलंब, भूमि अभिलेखों की अनुपलब्धता, कानून-व्यवस्था की समस्या आदि हैं। समिति इस बात को मानती है कि कोयला ब्लॉक के विकास के लिए, आवंटितियों को अन्य प्राधिकरणों/एजेंसियों से जुड़े कई मुद्दों से निपटना पड़ता है। बहरहाल, समिति का विचार है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोयला ब्लॉकों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से उन आवंटितियों का है जो इसके लिए उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान मामले में, कोयला ब्लॉक सरकारी क्षेत्र के आवंटितियों यथा एनटीपीसी, टीएचडीसी, डीवीसी और एनएलसी से यह अपेक्षित था कि वे कोयला ब्लॉक आवंटन के समय ही एक मानक योजना तैयार करते जिससे कि आवश्यक स्वीकृतियों को प्राप्त करने में तेजी आती और अन्य औपचारिकताएं कम से कम समय में पूरी हो जाती ताकि उत्पादन शुरू हो पाता और विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त हो गया होता। अतः समिति सिफारिश करती है कि कम से कम अब तो आवंटितियों द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा में कोयला ब्लॉकों के शीघ्र एवं समयबद्ध विकास हेतु ठोस प्रयास किए जाएं। समिति को तीन माह के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

10. मंत्रालय ने अपनी की-गई कार्रवाई रिपोर्ट में निम्नवत बताया:

"वर्तमान विभिन्न अधिनियमों के तहत विद्युत क्षेत्र को में कुल 64 कोयला ब्लॉक आवंटित हैं जिनमें से 16 सीपीएसयूज के लिए हैं। आवंटित कोयला ब्लॉकों का सीपीएसयूज-वार विवरण निम्नानुसार है:

पीएसयू	**आवंटित कोयला ब्लॉकों की संख्या**
एनटीपीसी	10
एनएलसी	03
डीवीसी	02
टीएचडीसी	01

इन 16 ब्लॉकों में से; 05 ने उत्पादन किया है और 03 ने अभ्यर्पण के लिए आवेदन किया है। शेष 08 कोयला ब्लॉकों में से; दो (02) के चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है, दो (02) के वर्ष 2022-23 में, तीन (03) के वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और एक में वर्ष 2024-25 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

प्रमुख लंबित मुद्दे के साथ-साथ स्थिति सार निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**कोयला खदान/राज्य**	**पीएसयू**	**अपेक्षित प्रचालनीकरण**	**प्रमुख लंबित मुद्दे**
1	करेन्दरी/झारखंड	एनटीपीसी	2022-23	एमडीओ की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
2	चट्टीबरियातू एवं & चट्टीबरियातू (दक्षिण) / झारखंड	एनटीपीसी	2021-22	एमडीओ की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
3	बादाम/झारखंड	एनटीपीसी	2023-24	खदान पट्टे का एनटीपीसी का अंतरण, वन मंजूरी स्टेज -II
4	बन्हारडीह/झारखंड	पीवीयूएनएल (एनटीपीसी एवं जेबीवीएनएल की जेवी)	2024-25	वन मंजूरी स्टेज -I और पर्यावरण मंजूरी
5	तुबंद/झारखंड	डीवीसी	2021-22	वन मंजूरी स्टेज-II
6	खागरा जयदेव/पश्चिम बंगाल	डीवीसी	2022-23	भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर
7	पचवाड़ा दक्षिण/ झारखंड	एनएलसी	2023-24	पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी
8	अमेलिया/पश्चिम बंगाल	टीएचडीसी	2022-23	एमडीओ की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

इन खदानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए इन संगठनों के साथ मामला उठाया जा रहा है। तथापि, ज्यादातर मामलों में, वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, खनन पट्टे के अनुदान के संबंध में राज्य सरकार के पास मामले लंबित हैं, जिसके कारण खदान में उत्पादन शुरू होने में बिलंब हो रहा है।

सीईए विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला ब्लॉक के प्रचालन की प्रगति की लगातार निगरानी करता है और इन खदानों के प्रचालन में देरी के मुद्दों को हल करने के लिए वैधानिक ढांचे के दायरे में हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। विद्युत क्षेत्र को आवंटित कोयला ब्लॉकों की मासिक आधार पर निगरानी की जा रही है और विलंब के प्रमुख मुद्दों को उजागर किया जा रहा है। समीक्षा के लिए रिपोर्ट मासिक आधार पर विद्युत मंत्रालय को भेजी जाती है जिसके आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है।

शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने के लिए पीएसयूज के संबंधित कोयला ब्लॉकों के प्रचालन से संबंधित सभी मुद्दों का सीईए, एमओपी और संबंधित सीपीएसयूज द्वारा कड़ाई से पालन/अनुसरण किया जा रहा है।"

11. मंत्रालय ने बताया कि पीएसयू को आवंटित कोयला खदानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए संबंधित संगठनों के साथ मामला ऊठाया जा रहा है। तथापि समिति नोट करती है कि ज्यादातर मामलों में वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, खनन पट्टे के संबंध में राज्य सरकार के पास मामले लंबित हैं, जिसके कारण खदान में उत्पादन शुरू होने में विलंब हो रहा है।

समिति यह देखकर निराश है कि कोयला ब्लॉको के विकास के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इन 16 आबंटित कोयला ब्लॉकों में से अभी तक केवल 5 ब्लॉक ही उत्पादन की अवस्था तक पहुँचें है कि जबकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला ब्लॉक के प्रचालन की प्रगति की लगातार निगरानी करता है। चूंकि अधिकांश मामले राज्य सरकारों के पास लंबित है, समिति अब चाहती है कि इन मामलों के निपटान हेतु संबंधित राज्य सरकारों को मनाने के लिए मामले को सर्वोच्च स्तर पर उठाया जाना चाहिए ताकि उत्खनन कार्य अब आगे बिना किसी विलंब के शुरू किया जा सके। समिति की-गई-कार्रवाई विवरण प्रस्तुत करते समय इस संबंध में प्राप्त परिणामों से अवगत होना चाहेगी।

अध्याय-दो

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

सिफारिश (क्रम सं. 2, पैरा सं. 2)

समिति नोट करती है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में काफी वृद्धि होने पर और आगामी वर्षों में इसको बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडार में शामिल किए जाने की आयोजना के बावजूद, इस दशक में भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य आधार कोयला ही रहेगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में यह आकलन किया है कि कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन की वर्तमान संस्थापित क्षमता 2,06,000 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2029-30 तक 2,67,000 मेगावाट हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान दशक के दौरान विद्युत क्षेत् में कोयले की मांग में तेजी आएगी। समिति इस बात से भी अवगत है कि वर्तमान में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र अपनी आधी क्षमा पर ही कार्य कर रहे हैं। तथापि, भविष्य में उनके प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उनकी कोयले की आवश्यकता बढ़ सकती है। इसके अलावा, समिति का मत है कि उन्नत प्रौद्योगिकियों यथा अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल और कार्बन कैप्चर के अत्यधिक उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत से होने वाले उत्सर्जन को काफी कम किया जा सकता है जिससे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों से समझौता किए बिना कोयला आधारित ताप विद्युत का इष्टतम उपयोग होगा। अतः समिति सिफारिश करती है कि विद्युत मंत्रालय इस दिशा में ठोस प्रयास करे और समिति को इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "इष्टतम उत्पादन मिश्रण 2030" के अनुसार, वर्ष 2029-30 में कुल उत्पादन मिश्रण में कोयला आधारित उत्पादन की भागीदारी लगभग 54% होगी। वर्ष 2029-30 तक कोयले की कुल आवश्यकता लगभग 892 मीट्रिक टन प्राक्क लित की गई है। केवल सुपर-क्रिटिकल/अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल आधारित कोयला आधारित संयंत्रों को ही भविष्यह में चालू करने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2029-30 में विद्युत क्षेत्र से कार्बन डाई ऑक्सायइड का 1287 मीट्रिक टन उत्सर्जन होने का अनुमान है। औसत कार्बन डाई ऑक्सा इड उत्सर्जन कारक वर्ष 2017-18 में 0.705 किलोग्राम कार्बन डाई

ऑक्साइड/केडब्यूएच से घटकर वर्ष 2029-30 में 0.511 किलोग्राम कार्बन डाई ऑक्सारइड/केडब्यूएच तक कम होने की संभावना है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, बड़े हाइड्रो को छोड़कर, 100 जीडब्यूल के लक्ष्य को पार कर गई है।

भारत ने वर्ष 2015 में अपने अभिप्रेत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) प्रस्तुत किए हैं, और इसका लक्ष्य वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन सघनता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना है और गैर-जीवाश्म ईंधन से 30% संस्थापित क्षमता है। देश अपने लक्ष्य से काफी आगे है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा. सं. पी-8/2021-एफएससी दिनांक:15/11/2021]

सिफारिश (क्रम सं. 3, पैरा सं. 3)

समिति नोट करती है कि विभिन्न अधिनियमों के तहत विद्युत क्षेत्र को कुल 65 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। 65 कोयला ब्लॉकों में से, 9,028 मिलियन टन के भूगर्भीय भंडार और प्रतिवर्ष 152 मिलियन टन की पीक रेटेड क्षमता वाले 16 ब्लॉकों को केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को आवंटित कर दिया गया है। आवंटित कोयला ब्लॉकों का पीएसयू-वार ब्यौरा इस प्रकार है; एनटीपीसी को 10, डीवीसी को 2, टीएचडीसी को 1 और एनएलसी को 3। तथापि, केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को आवंटित इन 16 कोयला ब्लॉकों में से केवल 5 ही अब तक उत्पादन के चरण में पहुँचे हैं। 3 कोयला ब्लॉकों के लिए पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं लेकिन उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। शेष 8 कोयला ब्लॉकों को या तो पर्यावरण संबंधी स्वीकृति अथवा वन संबंधी स्वीकृति अथवा दोनों ही नहीं मिली है। समिति आगे नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान इन निर्धारित कोयला खानों से वास्तविक उत्पादन केवल 7.76 मीट्रिक टन हुआ है। समिति को इस बात की जानकारी है कि विद्युत क्षेत्र को कोयला खानों के आवंटन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के लिए कोयले की कमी को दूर करना था, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड अकेले इस मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रही थी। तथापि, समिति पाती कि हालांकि, केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों का विशेष रूप से आवंटन किए जाने के कई वर्षों बीत जाने के बावजूद इससे संबंधित काम की गति बेहद धीमी है, क्योंकि कोयले के उत्खनन हेतु अधिकांश कोयला ब्लॉक अभी तक विकसित नहीं किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा बताए गए उत्तरदायी कारणों में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति और वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने में औसत से अधिक लगने वाला समय, भूमि अधिग्रहण में विलंब, भूमि अभिलेखों की अनुपलब्धता, कानून-व्यवस्था की समस्या आदि हैं।

समिति इस बात को मानती है कि कोयला ब्लॉक के विकास के लिए, आवंटितियों को अन्य प्राधिकरणों/एजेंसियों से जुड़े कई मुद्दों से निपटना पड़ता है। बहरहाल, समिति का विचार है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोयला ब्लॉकों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से उन आवंटितियों का है जो इसके लिए उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान मामले में, कोयला ब्लॉक सरकारी क्षेत्र के आवंटितियों यथा एनटीपीसी, टीएचडीसी, डीवीसी और एनएलसी से यह अपेक्षित था कि वे कोयला ब्लॉक आवंटन के समय ही एक मानक योजना तैयार करते जिससे कि आवश्यक स्वीकृतियों को प्राप्त करने में तेजी आती और अन्य औपचारिकताएं कम से कम समय में पूरी हो जाती ताकि उत्पादन शुरू हो पाता और विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त हो गया होता। अतः समिति सिफारिश करती है कि कम से कम अब तो आवंटितियों द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा में कोयला ब्लॉकों के शीघ्र एवं समयबद्ध विकास हेतु ठोस प्रयास किए जाएं। समिति को तीन माह के भीतर स संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वर्तमान विभिन्न अधिनियमों के तहत विद्युत क्षेत्र को में कुल 64 कोयला ब्लॉक आवंटित हैं जिनमें से 16 सीपीएसयूज के लिए हैं। आवंटित कोयला ब्लॉकों का सीपीएसयूज-वार विवरण निम्नानुसार है:

पीएसयू	आवंटित कोयला ब्लॉकों की संख्या
एनटीपीसी	10
एनएलसी	03
डीवीसी	02
टीएचडीसी	01

इन 16 ब्लॉकों में से; 05 ने उत्पादन किया है और 03 ने अभ्य र्पण के लिए आवेदन किया है। शेष 08 कोयला ब्लॉकों में से; दो (02) के चालू वित्तीीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है, दो (02) के वर्ष 2022-23 में, तीन (03) के वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और एक में वर्ष 2024-25 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

प्रमुख लंबित मुद्दे के साथ-साथ एक स्थिति सार निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कोयला खदान/राज्य	पीएसयू	अपेक्षित प्रचालनीकरण	प्रमुख लंबित मुद्दे
1	करेन्दरी/झारखंड	एनटीपीसी	2022-23	एमडीओ की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
2	चट्टीबरियातू एवं & चट्टीबरियातू (दक्षिण) / झारखंड	एनटीपीसी	2021-22	एमडीओ की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
3	बादाम/झारखंड	एनटीपीसी	2023-24	खदान पट्टे का एनटीपीसी का अंतरण, वन मंजूरी स्टेज -II
4	बन्हारडीह/झारखंड	पीवीयूएनएल (एनटीपीसी एवं जेबीवीएनएल की जेवी)	2024-25	वन मंजूरी स्टेज -I और पर्यावरण मंजूरी
5	तुबंद/झारखंड	डीवीसी	2021-22	वन मंजूरी स्टेज-II
6	खागरा जयदेव/पश्चिम बंगाल	डीवीसी	2022-23	भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर
7	पचवाड़ा दक्षिण/ झारखंड	एनएलसी	2023-24	पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी
8	अमेलिया/पश्चिम बंगाल	टीएचडीसी	2022-23	एमडीओ की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

इन खदानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए इन संगठनों के साथ मामला उठाया जा रहा है। तथापि, ज्यादातर मामलों में, वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, खनन पट्टे के अनुदान के संबंध में राज्य सरकार के पास मामले लंबित हैं, जिसके कारण खदान में उत्पादन शुरू होने में बिलंब हो रहा है।

सीईए विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला ब्लॉक के प्रचालन की प्रगति की लगातार निगरानी करता है और इन खदानों के प्रचालन में देरी के मुद्दों को हल करने के लिए वैधानिक ढांचे के दायरे में हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। विद्युत क्षेत्र को आवंटित कोयला ब्लॉकों की मासिक आधार पर निगरानी की जा रही है और विलंब के प्रमुख मुद्दों को उजागर किया जा रहा है।

समीक्षा के लिए रिपोर्ट मासिक आधार पर विद्युत मंत्रालय को भेजी जाती है जिसके आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है।

शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने के लिए पीएसयूज के संबंधित कोयला ब्लॉकों के प्रचालन से संबंधित सभी मुद्दों का सीईए, एमओपी और संबंधित सीपीएसयूज द्वारा कड़ाई से पालन/अनुसरण किया जा रहा है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा. सं. पी-8/2021-एफएससी दिनांक:15/11/2021]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय–एक का पैरा सं 11 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 4, पैरा सं. 4)

समिति नोट करती है कि केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को आवंटित 16 कोयला ब्लॉकों में से 8 को पर्यावरण/वन संबंधी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। समिति को यह बताया गया है कि सांविधिक स्वीकृतियों जैसे कि पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, वन संबंधी स्वीकृति आदि प्राप्त करने में औसतन 4 से 5 वर्ष लग गए। समिति मानती है कि इस मुद्दे का तत्काल पूरी तरह से निपटान किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि वास्तविक पर्यावरणीय चिंताओं से समझौता किए बिना इन स्वीकृतियों को प्राप्त करने में लिया गया समय काफी कम किया जा सके। अतः समिति सिफारिश करती है कि विद्युत मंत्रालय इसे अनिश्चित काल तक लटकने न दे और ऐसी स्वीकृतियों को प्राप्त करने से संबंधित मुद्दों के शीघ्र निपटान में सक्रिय भूमिका निभाए ताकि इन प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।

सरकार का उत्तर

03 कोयला ब्लॉकों (एनटीपीसी के केरेन्दरी, चट्टी बरियातू और चट्टी बरियातू दक्षिण और डीवीसी के खगरा जॉयदेव) को पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी दी गई है। 02 कोयला ब्लॉकों (एनटीपीसी के बनहरडीह और एनएलसी के पचवाड़ा दक्षिण) में ईसी और एफसी प्रदान नहीं की गई हैं। लेकिन 02 ब्लॉ कों (एनटीपीसी के बादाम और डीवीसी के तुबेद) के लिए ईसी दी गई लेकिन एफसी लंबित है।

सचिव (विद्युत) स्तर पर विद्युत क्षेत्र को आवंटित कोयला खदानों की प्रगति की समीक्षा बैठकें दिनांक 05.07.2021 तथा उत्पादक कैप्टिव कोयला खदानों की प्रगति की दिनांक 06.09.2021 को की गई हैं।

कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से संबंधित मुद्दों के संबंध में माननीय विद्युत, कोयला और पर्यावरण और पर्यावरण एवं वन मंत्री के बीच दिनांक 22.09.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर, सचिव (विद्युत) ने दिनांक 30.09.2021 के पत्र द्वारा सचिव (एमओईएफ एंड सीसी) से एमओईएफ एंड सीसी के पास लंबित अपेक्षित मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया और राज्य सरकार के वन विभाग के साथ लंबित मुद्दों को भी उठाया।

इसके अलावा, सचिव (विद्युत) ने राज्य सरकार के पास लंबित मुद्दों की समीक्षा की जिसके कारण खदान में उत्पादन शुरू करने में देरी हुई। इस संबंध में, अमेलिया कोयला खदानों के विकास के लिए दिनांक 24.09.2021 को मुख्य सचिव (मध्य प्रदेश) के साथ समीक्षा बैठक और नैनी कोयला खदानों के विकास के लिए दिनांक 01.11.2021 को मुख्य सचिव (ओडिशा) के साथ समीक्षा बैठक और मुख्य सचिव (छत्तीहसगढ़) द्वारा बैठक के लिए समय मांग गया है।

माननीय मंत्री ने भी दिनांक 30.09.2021 को कैप्टिव कोयला खदानों की स्थिति की भी समीक्षा की है। झारखंड में कोयला खदानों के विकास के लिए सचिव (विद्युत) द्वारा दिनांक 25.10.2021 को समीक्षा बैठक की गई है।

विद्युत मंत्रालय नियमित रूप से कोयला ब्लॉकों की समीक्षा करके और कोयला मंत्रालय, एमओईएफ एंड सीसी और राज्य सरकार आदि के साथ मुद्दों को उठाकर कोयला ब्लॉकों के लिए मंजूरी देने से संबंधित मुद्दों के समाधान करने/मुद्दों को हल करने में हर संभव सहायता प्रदान करता है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा. सं. पी-8/2021-एफएससी दिनांक:15/11/2021]

सिफारिश (क्रम सं. 5, पैरा सं. 5)

समिति इस बात से भी अवगत है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाल ही में पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) की स्वीकृति प्रक्रियाओं के लिए प्रो-एक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब (परिवेश), एक सिंगल-विंडो इंटीग्रेटिड सिस्टम शुरू किया है जिसमें वे जिला/केंद्रीय एजेंसी स्तर पर विलंब का पता लगा पाएंगे। समिति इस बहुप्रतीक्षित पहल की सराहना करती है और आशा

करती है कि इस तरह की पहल से समय पर स्वीकृति देने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। विद्युत मंत्रालय अपनी सभी पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए इस हब का लाभ उठाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

परिवेश पोर्टल का शुभारंभ; पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक प्रो-एक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंटल सिंगल विंडो हब समय पर मंजूरी देने में मदद कर रहा है। परिवेश पोर्टल का नंबर जानकर और ऑनलाइन स्थिति का पता लगाने के बाद, संबंधित अधिकारी को देरी, यदि कोई हो, की जांच के लिए महत्वपूर्ण चरणों में अलर्ट दिया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि राज्यों में जिला स्तर पर समय पर आवश्यक अद्यतनीकरण नहीं किया जा रहा है। तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से परिवेश पोर्टल पर सूचना को अद्यतन करने में किसी भी प्रकार की देरी से बचने का अनुरोध किया गया है। परिवेश पोर्टल के परिचालन मुद्दों को देखने के लिए एमओईएफ एंड सीसी के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में संसाधनों पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह का उप-समूह है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा. सं. पी-8/2021-एफएससी दिनांक:15/11/2021]

सिफारिश (क्रम सं. 6, पैरा सं. 6)

समिति नोट करती है कि विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) यानी एनटीपीसी, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को आवंटित खानों की समीक्षा सचिव (विद्युत) द्वारा आयोजित तिमाही निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) बैठकों के दौरान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र को आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास की समीक्षा हेतु दिनांक 15.03.2019, 07.10.2020, 27.11.2020 और 17.12.2020 को विद्युत मंत्रालय में समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गईं। कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वार्षिक समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं। समिति नोट करती है कि विद्युत मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यमों को आवंटित खानों की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है। हालांकि, यह चिंताजनक है कि इन सभी समीक्षा बैठकों के बावजूद, आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास की गति धीमी है। निस्संदेह यह एक तथ्य है कि कोयला ब्लॉकों का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई एजेंसियां/प्राधिकरण शामिल हैं। चूंकि इसमें स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और अन्य मंत्रालय/विभाग भी शामिल हैं, इसलिए समिति का मत है कि केवल केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यम इस मुद्दे का निवारण नहीं कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय इन केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यमों को हर संभव सहायता प्रदान करे और संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय

प्राधिकरणों के साथ समन्वय करे जिससे अनावश्यक प्रक्रियाओं या लालफीताशाही से बचा जा सके और मुद्दों का निवारण करते हुए कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाई जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

एमओपी और सीईए में कोयला ब्लॉकों की नियमित प्रगति की निगरानी की जा रही है।

सचिव (विद्युत) के स्तर पर विद्युत क्षेत्र को आवंटित कोयला खदानों की प्रगति के लिए राज्यों, आईपीपीज और एनएलसी के साथ दिनांक 05.07.2021 को और कैप्टिव कोयला खदानों के उत्पादन की दिनांक 06.09.2021 को समीक्षा बैठकें की गई हैं।

कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से संबंधित मुद्दों के संबंध में माननीय विद्युत, कोयला और पर्यावरण और वन मंत्री के बीच दिनांक 22.09.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर, सचिव (विद्युत) ने दिनांक 30.09.2021 के पत्र द्वारा सचिव (एमओईएफ एंड सीसी) से एमओईएफ एंड सीसी के पास लंबित अपेक्षित मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया और राज्य सरकार के वन विभाग के साथ लंबित मुद्दों को भी उठाया।

इसके अलावा, सचिव (विद्युत) ने राज्य सरकार के पास लंबित मुद्दों की समीक्षा की जिसके कारण खदान में उत्पादन शुरू करने में देरी हुई। इस संबंध में, अमेलिया कोयला खदानों के विकास के लिए दिनांक 24.09.2021 को मुख्य सचिव (मध्य प्रदेश) के साथ समीक्षा बैठक और नैनी कोयला खदानों के विकास के लिए दिनांक 01.11.2021 को मुख्य सचिव (ओडिशा) के साथ समीक्षा बैठक और मुख्य सचिव (छत्तीहसगढ़) द्वारा बैठक के लिए समय मांगा गया है।

माननीय मंत्री ने भी दिनांक 30.09.2021 को कैप्टिव कोयला खदानों की स्थिति की भी समीक्षा की है। झारखंड में कोयला खदानों के विकास के लिए सचिव (विद्युत) द्वारा दिनांक 25.10.2021 को समीक्षा बैठक की गई है।

मामलों को मामला-दर-मामला आधार पर राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है। एमओपी और सीईए प्रचालन में तेजी लाने के लिए वैधानिक ढांचे के दायरे में हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा. सं. पी-8/2021-एफएससी दिनांक:15/11/2021]

सिफारिश (क्रम सं. 7, पैरा सं. 7)

समिति पाती है कि केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रम और अन्य विद्युत क्षेत्र की इकाइयों को कोयला की आवश्यकता को पूरा करने और कोल इंडिया लिमिटेड पर कोयले की आपूर्ति के दबाव को कम करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे। समिति यह भी पाती है कि इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला खनन के क्षेत्र में कोई पिछला अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इन कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदन किया, क्योंकि कोयले की कमी थी। चूंकि कोयला ब्लॉकों का विकास और खनन एक जटिल मामला है जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता है जो कि केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए समिति आग्रह करती है कि कोयला मंत्रालय उन केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को पूरी सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए जिन्हें कोयला खानों का आवंटन हुआ है और वे उनका विकास और उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। समिति चाहती है कि विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय दोनों इस मामले में साथ मिलकर काम करें और संयुक्त रूप से एक कार्यनीति तैयार करें और एक विशेष तंत्र अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) विकसित करें जो केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रम प्रत्येक ऐसे सीपीएसयू के दायरे में हो जो इन निर्धारित कोयला ब्लॉकों का विकास और उपयोग नहीं कर पाए हैं।

<u>सरकार का उत्तर</u>

कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि

i. एमडीओ की नियुक्ति का प्रावधान: कोयला मंत्रालय और आवंटी के बीच निष्पादित कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौते/आवंटन समझौते में खदान के प्रचालन के लिए किसी भी ठेकेदार के साथ एक समझौता करने का प्रावधान किया गया है कि करार के तहत किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए आवंटी की ओर से खनन गतिविधियां करने के लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से खदान विकास अधिकारी (एमडीओ) नियुक्त किया जा सकता है।

ii. परियोजना प्रबंधन इकाई: कोयला मंत्रालय द्वारा एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) नियुक्ति की गई है और कोयला खदानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटियों की सहयाता करने का कार्य सौंपा गया है। पीएमयू मंजूरियों की प्रदानगी को सुकर बनाने के लिए संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों का दौरा करता है। पीएमयू समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

एनटीपीसी ने अपने खनन व्यवसाय को पूरा करने के उद्देश्य से खदानों के समय पर विकास और अनुबंधों के प्रभावी संचालन के साथ कुशल संचालन प्राप्त करने के लिए संकेंद्रित प्रबंधन के उद्देश्य से एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (एनएमएल), एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को अगस्त'19 में निगमित किया। एनटीपीसी को आवंटित खदानों को एनएमएल को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया की जा रही है।

[विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा. सं. पी-8/2021-एफएससी दिनांक:15/11/2021]

अध्याय तीन

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य-

अध्याय-चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (क्रम सं. 1, पैरा सं. 1)

समिति नोट करती है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा परिचालित कोयले और लिग्नाइट के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सूची (एनुअल नेशनल इनवेंटरी) के अनुसार देश का कुल कोयला संसाधन 344.02 बिलियन टन है। देश में कोयले की उत्खनन की वर्तमान दर लगभग प्रतिवर्ष 729 मिलियन टन है, इस दर पर यह भंडार 400 से अधिक वर्षों तक चल सकता है। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं और विभिन्न वैश्विक मंचों पर हमारे देश की प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ते हुए ध्यान के कारण, यह स्पष्ट है कि हमारे अधिकांश कोयला भंडार का कभी भी उपयोग नहीं हो पाएगा। समिति यह भी पाती है कि यह एक विडंबना है कि हमारे देश में कोयले के विशाल भंडार होने के बावजूद, हम कोयले का काफी मात्रा में आयात कर रहे हैं। कुछ वर्षों में, आयातित कोयले का हिस्सा, कुल कोयले प्राप्ति का अधिकतम 16-17% रहा है। कोयले के आयात के लिए मंत्रालय द्वारा यह कारण बताए गए हैं कि आयातित कोयला बेहतर गुणवत्ता का होता है, कुछ संयंत्र आयातित कोयले के उपयोग के लिए डिजाइन किए जाते हैं जबकि कुछ को सम्मिश्रण के उद्देश्य से इसकी आवश्यकता होती है, आदि। समिति का सुविचारित मत है कि कोयले का आयात चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए क्योंकि हमारे पास अपनी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार हैं। समिति इस बात से भी अवगत है कि स्वदेशी कोयले की गुणवत्ता को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है और विद्युत संयंत्रों के बॉयलर के डिजाइन को संशोधित किया जा सकता है जिससे उनमें स्वदेशी कोयले का उपयोग हो सके। समिति महसूस करती है कि एक स्पष्ट नीति तैयार करने की आवश्यकता है जो कि न केवल 'आत्मनिर्भर भारत' के विचार के अनुरूप हो बल्कि देश में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और आम आदमी के लिए सस्ती बिजली प्रदान करने में भी सहायक हो। अतः समिति सिफारिश करती है कि विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय इस मुद्दे पर अत्यधिक गंभीरतापूर्वक मिलकर कार्य करे और स्वदेशी कोयला भंडार के इष्टतम उपयोग के लिए ठोस प्रयास करें।

<u>सरकार का उत्तर</u>

आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्र अपनी ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करते हैं। इसके अलावा, घरेलू कोयले पर डिजाइन किए गए संयंत्र भी अपनी लागत-अर्थव्यवस्था को देखते हुए मिश्रण प्रयोजन के लिए कोयले का आयात करते हैं।

घरेलू कोयले की बढ़ती उपलब्धता के मद्देनजर, सरकार ने मिश्रण प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले आयातित कोयले को घरेलू कोयले के साथ प्रतिस्थापित करने की पहल की है। विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल, 2020 में उन उत्पादक कंपनियों को जो मिश्रण के प्रयोजनार्थ कोयले का आयात कर रही थीं, अपने आयात को घरेलू कोयले से बदलने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने की सलाह दी। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने मई, 2020 में आयातित कोयले के प्रतिस्थापन के उद्देश्य से और प्रतिस्थापन योग्य कोयले के आयात को खत्म करने के उपाय सुझाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया। वर्ष 2020-21 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने विद्युत संयंत्रों को मिश्रण के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले आयातित कोयले को प्रतिस्थापित करने के लिए घरेलू कोयले की पेशकश की।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), कोयला मंत्रालय (एमओसी), सीआईएल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और विद्युत संयंत्रों के ठोस प्रयासों से, मिश्रण के लिए कोयले का आयात वर्ष 2019-20 के दौरान 23.8 मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में घटकर 10.4 मीट्रिक टन हो गया है जिसके परिणामस्वयरूप लगभग 56% की कमी हुई। इसके अलावा, आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्रों ने वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष में 45.5 मीट्रिक टन की तुलना में 35.1 मीट्रिक टन का आयात किया, जिसके परिणामस्वनरूप लगभग 23% की कमी हुई।

विद्युत संयंत्रों द्वारा कुल आयात वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में लगभग 34% कम हो गया है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष 2021-22 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान घरेलू और आयातित कोयले (मिश्रण के प्रयोजन से और आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए संयंत्रों के लिए) की प्राप्ति निम्नानुसार है:

वर्ष	कोयला प्राप्ति (मिलियन टन में)					कुल प्राप्ति में आयातित कोयले का हिस्सा (%)
	घरेलू प्राप्ति	आयातित प्राप्ति			कुल प्राप्ति	
		मिश्रण हेतु	आयातित कोयला आधारित संयत्रों के लिए	कुल आयात		
2016-17	494.9	19.8	46.3	66.1	561	12%
2017-18	538.6	17	39.4	56.4	595	9%
2018-19	582.1	21.4	40.3	61.7	643.8	10%
2019-20	569.5	23.8	45.4	69.2	638.7	11%
2020-21	550.8	10.4	35.1	45.5	596.3	8%

2021-22 (अप्रैल-सितम्बर)	307.9	4.4	11.9	16.3	324.2	5%

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में आयातित कोयले की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 के दौरान कुल कोयला प्राप्ति का लगभग 12% थी, जो सरकार द्वारा की गई पहल के कारण वर्ष 2020-21 से घटकर लगभग 5% रह गई है। तथापि, वर्ष 2021 अभूतपूर्व रहा है क्योंकि आयातित कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगभग 60-70 अमरीकी डालर प्रति टन (फरवरी-मार्च, 2021 में) से बढ़कर लगभग 170-200 अमरीकी डॉलर प्रति टन (सितंबर-अक्टूबर, 2021 में) हो गई हैं जिसने आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले के आयात को प्रभावित किया, इस प्रकार अधिक घरेलू कोयले की मांग बढ़ी और विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयले के स्टॉक में कमी आई। तदनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की किसी भी गंभीर स्थिति से बचने के लिए उत्पादन कंपनियों को मिश्रण के प्रयोजन के लिए कोयले का आयात करने की सलाह दी है।

<u>समिति की टिप्पणी</u>

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय–एक का पैरा सं 8 देखें)

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
26 जुलाई, 2022
श्रावण 4, 1944 (शक)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट-एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 26 जुलाई, 2022 को माननीय सभापति के चैम्बर, कमरा संख्या 111, संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1530 बजे से 1615 बजे तक चली।

लोकसभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री संजय जाधव
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री सुनील कुमार मंडल
6. श्री अशोक महादेवराव नेते
7. श्री पी. वेलुसामी
8. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल
9. श्री बेलाना चन्द्रशेखर
10. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

11. श्री अजीत कुमार भुयान
12. श्री राजेन्द्र गहलोत
13. श्री मुजीबुल्ला खान
14. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
15. श्री एस. सेल्वागनबेथी
16. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1.	डॉ. राम राज राय	संयुक्त सचिव
2.	श्री आर.के. सूर्यनारायणन	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु उठाया:

(i) 'विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा - देश भर में प्रशुल्क संरचना में एकरूपता की आवश्यकता' विषय पर प्रतिवेदन।

(ii) 'भारत में पवन ऊर्जा का मूल्यांकन' विषय पर प्रतिवेदन।

(iii) '175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य की उपलब्धि हेतु कार्य योजना' विषय पर सत्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

(iv) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों का विकास' विषय पर अठारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

(v) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूरा करने में विलंब' विषय पर उन्नीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

3. प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु पर चर्चा करने के पश्चात, समिति ने बिना किसी संशोधन/परिवर्तन के उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया। समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

<u>परिशिष्ट-दो</u>

(प्रतिवेदन के प्राक्कथन के अनुसार)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(i)	सिफारिशों की कुल संख्या	07
(ii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:	
	क्रम सं. 2, 3, 4, 5, 6 और 7	
	कुल:	06
	प्रतिशत:	85.71%
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है:	
	क्रम सं. शून्य	
	कुल:	00
	प्रतिशत:	00%
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:	
	क्रम सं 1	
	कुल:	01
	प्रतिशत:	14.29%
(v)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:	
	क्रम सं. शून्य	
	कुल:	00
	प्रतिशत:	00%